संख्या-03/2025/275/18-2-2025-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

डा0 उज्जवल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 2 लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2025

विषय :- जेम संबंधी समेकित शासनादेश दिनांक 26.11.2024 में त्रुटि सुधार / स्पष्टीकरण / संशोधन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-02-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत करते हुए सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति जेमके माध्यम से ही किये जाने की अनिवार्यता की गयी है। इसी क्रम में पूर्व में निर्गत जेम खरीद से संबंधित समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए समेकित शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-7 एवं प्रस्तर-16 में कतिपय त्रुटि सुधार हेतु सुधारात्मक आदेश /स्पष्टीकरण जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब शासनादेश के प्रस्तर-7 एवं प्रस्तर-16 को निम्नवत पढ़ा जाये :-

प्रस्तर-7

क्रेता द्वारा दस लाख से अधिक किसी भी वस्तु/सेवा के क्रय हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध/प्रदर्शित Bid to RA का विकल्प अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। किसी अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थिति में सक्षम स्तर, न्यूनतम सचिव (शासन हेतु) या विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त /जिलाधिकारी/ निदेशक/ आयुक्त/ प्रबन्ध निदेशक/ महानिदेशक आदि (क्षेत्रीय इकाइयों के लिए) से इस आशय पर अनुमोदन के द्वारा इसमें छूट ली जा सकती हैं।

प्रस्तर–16

भारत सरकार के GFR पैरा 173 (xx) के अनुसार "प्रतिस्पर्धा की कमी केवल बिडरों की संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाएगी। यहां तक कि जब केवल एक बिड प्रस्तुत की जाती है, तो भी प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) खरीद का विज्ञापन संतोषजनक ढंग से किया गया तथा बिड प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया।

(ख) योग्यता मानदंड अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे; और

(ग) प्राप्त कीमतें बाजार मूल्य की तुलना में उचित हैं।'

यदि बिड मूल्यांकन समिति पाती हैं कि उपरोक्त सभी पहलुओं का बिड में पूर्ण ध्यान रखा गया है, तो यह समिति केस को क्रय करने वाली इकाई से एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी के पास औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। एक स्तर उच्चतर प्राधिकारी बिड को मेरिट के आधार पर निरीक्षण के उपरांत निर्णय लेगा कि बिड स्वीकृति की प्रक्रिया की जानी चाहिए या बिड पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए। परन्तु यदि बिड मूल्यांकन समिति पाती है कि उपरोक्त सभी पहलुओं का बिड में पूर्ण ध्यान नहीं रखा गया हैं तो बिड को पुनः आमंत्रित किया जाना चाहिए। एक से अधिक तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्तावों की दशा में सामान्य क्रय प्रक्रिया नियमानुसार लागू होगी।

2- उपर्युक्त संशोधन के प्राविधान वर्तमान में प्रचलित जेम संबंधी समेकित शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल030)/2016 दिनांक 26.11.2024 पर प्रवृत्त होंगे। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश में वर्णित शेष प्राविधान/नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तदिशा-निर्देशानुसार शासनादेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 उज्जवल कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8- सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
9- सचिव, लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 उज्जवल कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in